

पत्र संख्या-1प्र०आ०-3-0-8198--482।सा०पु०

बिहार सरकार  
साहाय्य एवं पु. वास विभाग

प्रेषक

श्री राम बाबू सिंह,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव एवं आयुक्त,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 16 अप्रैल 1998

विषय—प्राकृतिक आपदा से हुयी क्षति के लिए साहाय्य के विभिन्न मदों के लिए निर्धारित मानदर में संशोधन एवं संशोधित मानदर पर व्यय के संबंध में।

महाशय,

विद्वानुसार उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, ई दिल्ली के पत्र संख्या-1-21195 एन०डी०एम०, दिनांक 21 मार्च, 1 अप्रैल 1997 के साथ प्राप्त संशोधित मानदर की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए वहाँ है कि केन्द्र सरकार द्वारा साहाय्य मानदर में विये गये संशोधन की सूचा देते हुए साहाय्य मानदरों में एक रूपा के लिए ई राज्य में लागू करने का निर्देश दिया गया है।

राज्य सरकार के साहाय्य के विभिन्न मदों में केन्द्र सरकार द्वारा विये गये संशोधन एवं संशोधित मानदर लागू करने के संबंध में पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि भारत सरकार द्वारा संशोधित साहाय्य मानदर राज्य में लागू किया जाय।

यह संशोधित मानदर पत्र निर्गत होने की तिथि से राज्य में लागू समझा जायेगा।

उपरोक्त पत्र प्राप्ति की सूचना शीघ्र दी जाय।

विश्वासभाजन,

रामबाबू सिंह,  
सरकार के अवर-सचिव।

ज्ञापक-1 प्र०आ०-3-0-8198--482।सा०पु०

पटना-15, दिनांक 16 अप्रैल 1998

प्रतिलिपि/अनुबन्धक सहित महालेखाकार, बिहार, पो० हिनू, रांची को सूचार्थ प्रेषित।

रामबाबू सिंह,  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-482 सा०पु०

पटना-15, दिनांक 16 अप्रैल 1998

प्रतिलिपि—श्री आर० एस० जाज, भारत सरकार के उप-सचिव कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग नई दिल्ली को उनके पत्रांक-1-21195 एन०डी०एम०, दिनांक 1 अप्रैल 1997 के प्रसंग में सूचार्थ प्रेषित।

रामबाबू सिंह,  
सरकार के अवर-सचिव।